कार्यालय,मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग
द्वितीय मंज़िल, निर्वाचन भवन, 58, अरेरा हिल्स, भोपाल

<u>शिकायत क्रमांक सी–27/रासूआ/38/सतना/05</u>

श्री भैयालाल त्रिपाठी, अपीलकर्ता
मुरवा, पोस्ट चंदई,
जिला सतना

विरूद्ध

श्री आर.के.चौधरी, लोक सूचना अधिकारी,
उप जिलाध्यक्ष,
कलेक्टर कार्यालय,
सतना

आदेश
(दिनांक 7 अप्रैल 2006)

श्री भैयालाल त्रिपाठी ने यह आवेदन पत्र दिनांक 21.12.05 को प्रस्तुत किया है जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया है कि दिनांक 28.11.05 को उन्होंने एक आवेदन देकर कलेक्टर कार्यालय, सतना के लोक सूचना अधिकारी श्री चौधरी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम) की धारा 6(1) के अंतर्गत एक आवेदन प्रस्तुत किया था । इस आवेदन पत्र के माध्यम से उन्होंने कलेक्टर उमाकान्त उमराव की दैनन्दिनी (भ्रमण कार्यक्रम) माह जनवरी 2005 से माह सितम्बर 2006 तक की जानकारी मांगी थी और फीस के 10/– रूपये जमा कर रसीद मांगी थी लेकिन लोक सूचना अधिकारी ने रसीद उपलब्ध नहीं कराई और न ही रिपोर्ट दी है।

2. इस प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी को दिनांक 28.12.2005 को एक पत्र श्री भैयालाल त्रिपाठी के आवेदन के साथ भेजा गया था और उसमें इस शिकायत के संबंध में प्रतिवेदन देने के लिये कहा गया था। वस्तुस्थिति से अवगत कराने के उन्हें 15 दिन का समय दिया गया था। लेकिन, श्री चौधरी की ओर से कोई उत्तर नहीं प्राप्त होने पर दिनांक 08 मार्च 06 को उन्हें एक कारण दिखाओ सूचना पत्र भेजा गया कि आयोग से मांगे गये पत्र का उत्तर प्राप्त नहीं होने के कारण उनपर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 (1) के अंतर्गत क्यों न शास्ति आरोपित की जाये और दिनांक 31 मार्च 2006 तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने पर बिना कोई अवसर दिये आपके विरूद्ध शास्ति के आदेश पारित किये जायेंगे। उन्हें दिनांक 31

मार्च 2006 तक उत्तर प्रस्तुत करने एवं अपना पक्ष समक्ष में प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया ।

3. श्री आर.के. चौधरी, लोक सूचना अधिकारी दिनांक 31 मार्च 06 को मेरे समक्ष उपस्थित हुए और उन्होंने अपना लिखित उत्तर प्रस्तुत किया । अपने उत्तर में उन्होंने यह उल्लेखित किया है कि इस संबंध में सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं शाखा लिपिक से जानकारी प्राप्त की गई। शाखा लिपिक ने बताया कि दिनांक 28 नवंबर 2005 को श्री उमाकांत उमराव, तत्कालीन कलेक्टर, सतना की भ्रमण दैनंदिनी की जानकारी प्राप्त करने के लिये शिकायतकर्ता ने आवेदन पत्र दिया था लेकिन उन्होनें निर्धारित राशि या गरीबी रेखा का आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया था। उनसे निर्धारित शुल्क अथवा बीपीएल का पत्र देने के लिए कहा था। लेकिन, उन्होंने यह जमा नहीं किया है । इसलिये इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी है।

4. श्री चौधरी ने यह भी कहा है कि इस कार्यालय से जो पत्र भेजा गया है वह उन्हें प्राप्त नही हुआ है इसलिये प्रतिवेदन देना संभव नहीं हो सका है। उन्होंने मौखिक सुनवाई के समय भी इस बात को दोहराया है कि उन्हें पत्र प्राप्त होता तो वे अवश्य उसपर कार्यवाही कर शिकायतकर्ता की शिकायत के संबंध में उत्तर प्रस्तुत करते ।

5. इस प्रकरण को देखने से दो बाते स्पष्ट होती है। पहली बात यह है कि शिकायतकर्ता का आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त हुआ था लेकिन ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि उसपर कोई कार्यवाही की गई । यह सही है कि इसमें आवेदन शुल्क जमा नहीं किया गया है लेकिन, शिकायत कर्ता का यह आरोप है कि उसे राशि जमा करने की रसीद नहीं दी गई । इससे स्पष्ट है कि लोक सूचना के अधिकारी के कार्यालय में पूरी व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है। राज्य सूचना आयोग के पत्र का प्राप्त भी नहीं होना इस बात को स्पष्ट करता है कि कार्यालय में पूर्ण व्यवस्था का अभाव है, जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है और न ही लोक सूचना आयोग को पत्रों का उत्तर प्राप्त होता है ।

6. इस प्रकार का यह प्रकरण सतना जिलाध्यक्ष कार्यालय के संबंध में आया है इसलिये यह निर्देश दिया जाता है कि लोक सूचना अधिकारी अपना कार्यालय में समुचित व्यवस्था करें जिससे इस प्रकार की शिकायते भविष्य में उपस्थित नहीं हो सकें। शिकायतकर्ता ने जो आवेदन पत्र दिया है इस संबंध में पूरी कार्यवाही जिसमें शुल्क जमा किया जाना शामिल है कर उन्हें जिस पत्र की जानकारी चाही है धारा 8 की व्यवस्था को देखते हुए सात दिन के अन्दर प्रदान की जाय।

(टी.एन.श्रीवास्तव)
मुख्य सूचना आयुक्त

07 अप्रैल 2006